न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – देवीलाल यादव (R.A.S.)
राजस्व प्रकरण संख्या : – 68/2024

उनवान

शिवराज पुत्र मांगीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम श्रीनगर, नसीराबाद,
-- वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह राठौड

बनाम

1. प्रभु पुत्र हरचन्द जाति अहीर नि0 श्रीनगर, नसीराबाद
2. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

-- प्रतिवादीगण :– 1 जरियें अधिवक्ता श्री मौ0 वसीम
2 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 14.6.24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 3191 रकबा 0.01 की आराजी वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 के पिता हरचन्द पुत्र मूला से कय कर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया था। किन्तु उकत आराजी हाल जमाबंदी में जरियें विरासत नामान्तकरण संख्या 2287 दिनांक 13.06.18 से प्रतिवादी संख्या 1 व उसके परिवारजन के नाम कर दी गयी। प्रतिवादी संख्या 1 ने जरियें हकत्याग उकत सम्पूर्ण आराजी अपने नाम करवा ली। हाल अभिलेख में भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम होने के कारण वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी की जा रही है। अतः आराजी मुतनाजा पर वादी को खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकारोक्ति का जवाब पेश किया। राज0 पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया। प्रकरण का कोई खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व विकय पत्र पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम श्रीनगर के खसरा नम्बर 3191 रकबा 0.01 की आराजी वादी ने

--2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 14.12.10 को हरचन्द पुत्र मूला से क्रय की थी। क्रय दिनांक को उक्त आराजी बैंक के नाम रहन दर्ज थी। हरचन्द की मृत्यु होने के बाद आराजी मुतनाजा हरचन्द के वारिस के नाम दर्ज की गयी। तथा हक त्याग के बाद वर्तमान में उक्त आराजी अकेले प्रतिादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। भूमि रहन मुक्त हो चुकी है। प्रतिवादी संख्या 1 के पिता ने उकत आराजी प्रतिफल राशि प्राप्त कर विकय की थी। विरासत का नाम नामान्तकरण दर्ज होने से विक्रय पपत्र निष्प्रभावी नही होता है। विकेता के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। पंजीकृत विक्रय पत्र की सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। प्रतिवादीगण ने प्रकरण में कोइई खण्डन पेश नही किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र व राजस्व अभिलेख से वाद के कथनों की ताईद होती है। वादी उक्त आराजी पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम श्रीनगर के खसरा नम्बर 3191 रकबा 0.01की आराजी पर वादी का वाद **''स्वीकार''** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तअनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

शिवराज बनाम प्रभु

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 68/2024
पेश करने की दिनांक – 12.04.24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक नरेन्द्र सिंह राठौड मुद्दई अभिभाषक मौ0 वसीम व राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम श्रीनगर के खसरा नम्बर 3191 रकबा 0.01 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तअनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 14 माह 6 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद